

# महिलाओं को बिजनेस लोन देने में बैंक टाल-मटोल नहीं कर सकते

'पत्रिका' की पहल

बिजनेस बढ़ा  
कैसे करें



बिजनेस बूस्टर

राजस्थान पत्रिका



Entrepreneurship  
Development  
Institute of India

पत्रिका समूह और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआइआइ), अहमदाबाद की संयुक्त पहल, महिलाओं को मिलेगी बिजनेस को बढ़ाने से जुड़ी ट्रेनिंग

अगर कोई महिला अपने बिजनेस के लिए सरकारी बैंक में लोन के लिए जाती है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स होने पर बैंक टाल-मटोल नहीं कर सकते हैं। यह बात ईडीआइआइ की प्रोजेक्ट लीडर डॉ. कीर्ति प्रजापति ने महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर महिला उद्यमी अपना बिजनेस बढ़ाने या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन मांगती हैं तो उन्हें दिया जाए। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसके

खिलाफ शिकायत पर 48 घंटे में कार्रवाई होती है।

10 योजनाओं में महिलाएं ले सकती हैं लाभ

इनमें अन्नपूर्णा योजना, मुद्रा योजना, देना शक्ति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उद्योगिनी, सेंट कल्याणी योजना, महिला उद्यम निधि, स्त्री शक्ति पैकेज, ओरिएंटल महिला योजना, भारतीय महिला बिजनेस लोन स्कीम हैं। इनमें महिला अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकती हैं। इनमें बिना गारंटी के लोन मिलता है। इसमें सब्सिडी भी मिलती है।